



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237171
CG-DL-E-07072022-237171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2965]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944

No. 2965]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3115(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में चिट्टूर से मोटू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 326 के कि.मी 0/0 से 9/6 तक के निर्माण (चौड़ीकरण दो लेन का बनाना आदि) प्रबंधन, प्रचलन और उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में चिट्टूर से मोटू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 326 के कि.मी 0/0 से 9/6 तक पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब कलेक्टर / रेवेनुए डिविशनल ऑफिसर,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	आंध्र प्रदेश	अल्लुरी सीतारामा राजू	चिट्टूर	1 टटियाकुलागुडेम

राजेश गुप्ता , निदेशक